making enquiries into certain matters relating to monetary corruption for evacuees management at Dharmanagar, Tripura, and

(b) if so, within what period the investigation would be completed ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R K KHADILKAR) (a) and (b) Preliminary enquiries into such allegations of corruption have been made by the State Anti-Corruption Branch. The question of deputing officers of Central Bureau of Investigation to assist in the investigation is under consideration.

खेतड़ी में ताँबा परियोजना के असैनिक निर्माण कार्यों के लिये ठेका

6568. **श्री शिवनाथ सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खेतडी ताँबा परियोजना सयत्र के असैनिक निर्माण कार्यों का ठेका पहले सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को दिया गया था और उसे वापस लेकर मैसर्स तारापोर एण्ड कम्पनी को दे दिया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है,

(ग) क्या भूतकाल मे मैसर्स तारापोर एण्ड कम्पनी तथा गैमन्स इण्डिया लिमिटेड का मुख्य अभियन्ता (सिविल) से सबध रहे थे; और

(घ) क्या वर्तमान पद पर नियुक्ति से पूर्व भी उक्त अभियन्ता के विरुद्ध दुर्विनियोग के आरोप लगाये गये थे और यहाँ अब भी जाँच कार्य चल रहा है परन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नही की जा रही है ?

इस्पात और खान मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खाँ) : (क) और (ख) सकेन्द्र और सबध इमारतो (स्लैग व्यवहारक सयत्र को सम्मिलित कर) के लिए सिविल निर्माण कार्यों के लिए सविदा, फरवरी, 1969 में मैसर्स एन० पी० सी० सी० को दी गई। उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रगति संतोषप्रद नही थी। खेतडी ताम्र परियोजना की कडी समय सारणी को ध्यान मे रखते हुए, कार्य का कुछ भाग एन० पी० सी० सी० से ले लिया गया। ऐसा हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड के निदेशक मण्डल के अनुमोदन द्वारा ही किया गया। तत्पश्चात् कार्य का यह भाग मैसर्स तारापोर एण्ड कम्पनी को सौंपा गया।

(ग) हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड ने यह सूचना दी है कि वह मुख्य अभियन्ता (सिविल) के मैसर्स तारापोर एण्ड कम्पनी और मैसर्स गैमन्स इण्डिया लिमिटेड के साथ किसी भी प्रकार के पूर्व—"संबंधो" से अनभिज्ञ है। तथापि इस बात का उल्लेख किया जाता है कि हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड मे आने से पूर्व, सदर्भाधीन अधिकारी अन्य कई औद्योगिक प्रायोजनाओ से कार्य करता रहा है। ऐसा सभव है कि मुख्य अभियन्ता (सिविल) ने कुछ ऐसी प्रायोजनाओ से कार्य किया हो जहाँ ये अभिकरण भी सक्रियाशील थे। इस सविदा का मैसर्स तारापोर एण्ड कम्पनी को दिए जाने मे किसी भी प्रकार के शका-स्पद और आपत्तिजनक उपायो का प्रयोग किया गया हो, इस बात का प्रश्न ही नही उठता।

(घ) हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड ने सूचित किया है कि उक्त मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध, उसके हिन्दुस्तान लिमिटेड मे आने से पूर्व के, किसी दुर्विनियोग के आरोपो मे भिन्न नही है।

Default in payment of E P. F. by M/s C H (P) Limited and M/s C M. I Limited, Bihar

6569 SHRI M. D. JAMILURRAHMAN
SHRI R P YADAV :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether M/s C H. (P) Limited, M/s C M. I. Limited, Tatanagar Foundary Work and R. B. H. M. JuteMills, Katihar are

chronic defaulters of Employees' Provident Funds in Bihar region; and

(b) whether Provident Fund contributions have not been paid by them for quite some time past; if so, the arrears against each ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) The Provident Fund Authorities have reported as under .

(a) Yes

(b) M/s. C. H. P. Limited, M/s. C M. I. Limited, M/s. Tatanagar Foundary Company Limited, Jamshedpur and M/s. R. B. H. M. Jute Mills, Katihar were in default of provident fund dues of about Rs. 1 02 lakhs, Rs. 4 68 lakhs, Rs. 3 02 lakhs and Rs 8 71 lakhs respectively.

बंगला देश को सहायता

6570. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बगला देश को अब तक कुल कितनी आर्थिक सहायता दी गयी है,

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान बगला देश को कितनी आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया; और

(ग) सहायता संबंधी शर्तें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). 1972-73 के बजट अनुमानों में बगला देश को 118 करोड़ रुपये के मूल्य की सहायता देने की व्यवस्था रखी गई है। 1971-72 में 82 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी ।

2. बंगला देश को अब तक दी गई सहायता तथा उसके नियम और शर्तें निम्न है—

अनुदान	रुपया
(क) 650,000 टन गेहूँ और 100,000 टन चावल की सप्लाई	78 46 करोड
(ख) माल सहायता	25·00 करोड
(ग) नकद खैराती अनुदान	18·58 करोड
(घ) आश्रय सामग्री की सप्लाई	1·36 करोड
(ङ) 20,000 हैण्ड पम्पो की सप्लाई	40 00 लाख
(च) 2,000 टन दालो की सप्लाई	40 00 लाख
(छ) 50,000 ग्रुप माचिसो की सप्लाई	6·00 लाख
(ज) सचार सहायता	3 29 लाख

ऋण

(1) दो वायुयान, दो जहाज, प्रकीर्ण रेल सामग्री, बिजली साज समान और दूरसचार-सामग्री की सप्लाई 20 0 करोड ।

वायुयान और जहाजो के लिए ब्याज की दर $2\frac{1}{2}\%$ है और यह ऋण 25 वर्षो मे पुनर्देय है, इसमे 5 वर्ष का विलम्ब-काल शामिल है । रेल सामग्री, बिजली सामग्री और दूर-सचार के साज सामान के लिए दिया गया ऋण ब्याज मुक्त है जो 25 वर्षो मे पुनर्देय है । इसमे 7 वर्ष का विलम्ब काल शामिल है ।

(2) 50 लाख पौड की विदेशी मुद्रा का ऋण (9 5 करोड रुपये के मूल्य के बराबर) इस पर $2\frac{1}{2}\%$ का ब्याज होगा, यह 20 वर्ष मे पुनर्देय होगा इसमे 5 वर्ष का विलम्ब-काल शामिल है ।

(3) कच्चे तेल की खरीद के लिए 8 1 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा का ऋण है । इस पर ब्याज की दर $6\frac{1}{2}\%$ है । यह ऋण 5 वर्ष की अवधि मे पुनर्देय है ।

इस सूची मे सहायता सामग्री के लिए बंगला देश को हस्तातरित किए गए 15 करोड़